दिनांक 30 मार्च 2019

स्वच्छ भारत अभियान   स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

निगम आयुक्त सुंदरानी ने रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड को भेजा अंतिम पत्र , टावर स्ट्रक्चर नहीं हटाया तो करेंगे कार्रवाई वसूली भी की जाएगी जिम्मेदारी होगी आपकी

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त एस.के. सुंदरानी ने मोतीलाल नेहरू नगर पश्चिम, महाराणा प्रताप उद्यान के पास निर्माणाधीन , मोबाइल टावर के स्ट्रक्चर को हटाए जाने के लिए रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड मोवा , रायपुर एक पत्र जारी किया है , जबकि पहले भी सर्कस मैदान से अवैध टावर को आयुक्त महोदय के निर्देश पर हटाया गया था। वर्तमान में जारी पत्र में उल्लेखित अनुसार आपको मोतीलाल नेहरू नगर पश्चिम महाराणा प्रताप गार्डन के पास निर्माणाधीन स्थल पर बिना अनुमति के निर्मित मोबाइल टावर के स्ट्रक्चर को पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर स्थल फोटोग्राफ सहित अधोहस्ताक्षर करता के समक्ष प्रस्तुत कर एवं स्थल को पूर्व की स्थिति में लाने हेतु सूचित किया गया था , किंतु आपके द्वारा अद्यतन मोबाइल टावर के स्ट्रक्चर को हटाकर कार्यालय को अवगत नहीं कराया गया है। आपके द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2019 को अभ्यावेदन पत्र प्रस्तुत कर शासकीय भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में निजी (प्राइवेट) भूमि हेतु कंपनी सहमत होगी, का उल्लेख करते हुए दिशा निर्देश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है।

अतः आपके प्रस्तुत अभ्यावेदन समाधानकारक नहीं होने के कारण पूनः अंतिम रूप से सूचित किया जाता है, की पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर बिना अनुमति के निर्मित मोबाइल टावर के स्ट्रक्चर को हटाकर साक्ष्य सहित कार्यालय को अवगत कराएं अन्यथा उक्त समय अवधि पश्चात उक्त मोबाइल टावर के स्ट्रक्चर को निगम द्वारा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत बेदखली की कार्रवाई की जावेगी तथा होने वाले व्यय की वसूली भी आपसे की जावेगी , जिसके लिए आप संपूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेंगे।

जनसम्पर्क अधिकारी

''जल है तो कल है'' ''जल ही जीवन है''

''वोट डालने जाना है- 23 अप्रैल को अपना फर्ज निभाना है''